

30/5/23 फतावली पैश हुई। कमील वाली अनुब
मूल वाद 09R-2/09R-5 में खारिज किया गया है।
प्राथमिक फर - 212 का फीड औचित्य नहीं है। अतः प्राथमिक
फर 212 में 09-R-2/09R-5 में खारिज किया
जाता है। फतावली नम्बर से कम हो। वाद प्रति
दोरिबल रफ्तार है। सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अलवर) राज.